

प्रेषक,

पनधारी यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
- 2- अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2014

विषय:- उ0प्र0 विकास प्राधिकरण सेवा के कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/कय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर देय व्याज की धनराशि को उनकी सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में माफ किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण सेवा के कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/कय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर देय व्याज की धनराशि को उनकी सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में माफ किये जाने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-बी-3-4086/दस-94-20(24)/92, दिनांक 31 अक्टूबर, 1994 (प्रति संलग्न) को एतद्वारा अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- कृपया इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,



(पनधारी यादव)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र समस्त सम्बन्धितों को ई-मेल एवं फैक्स भेजवाते हुए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बेवसाइट पर डलवाने का कष्ट करें।
- 2- समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव।

संख्या बी-3-4086/एस-94-20 (24)/92

पेपर

श्री एस०ए०टी० रिजर्वी,
प्रमुख सचिव, विना,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष,
विना जल तथा वित्त अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लाघनरू दिनांक: 11 अक्टूबर, 1994

विषय राज्य कार्यशालाओं को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अग्रिम पर देय खात की धनराशि को उनकी सेवाकाल में मृत्यु की दशा में वापस किया जाना।

संदर्भ

विना (अस. न्यायक)
अनुभाग 1

राज्य सरकार द्वारा, अपने कार्यशालाओं को उनके सेवाकाल में भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अग्रिम, कर्ज अग्रिम तथा व्यक्तिगत कर्जद्वारा की जा रही अग्रिम स्वीकृत किया जाता है जिसकी नियमानुसार खात सहित वसूली उनकी सेवा विद्युता के पूर्व सुनिश्चित की जाती है। कार्यशालाओं के सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में उनके परिवार के सदस्यों को अधिक स्थिति सामान्यतया अस्वीकार्य होती है और उनके द्वारा उक्त अग्रिमों की बचत धनराशि को खात सहित वापस किया जाने हेतु अनुरोध किया जाता है।

~~2. इस संदर्भ में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि सेवाकाल में कार्यशाला की मृत्यु की दशा में उनके द्वारा विना पर भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अग्रिम पर देय खात की धनराशि वापस करने की दशा में उनके परिवार के सदस्यों को अधिक स्थिति सामान्यतया अस्वीकार्य होती है और उनके द्वारा उक्त अग्रिमों की बचत धनराशि को खात सहित वापस किया जाने हेतु अनुरोध किया जाता है।~~

1. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि सेवाकाल में कार्यशाला की मृत्यु की दशा में उनके द्वारा विना पर भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अग्रिम पर देय खात की धनराशि वापस करने की दशा में उनके परिवार के सदस्यों को अधिक स्थिति सामान्यतया अस्वीकार्य होती है और उनके द्वारा उक्त अग्रिमों की बचत धनराशि को खात सहित वापस किया जाने हेतु अनुरोध किया जाता है।

2. ऐसे प्रकारों, जिनमें भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अग्रिम पर देय खात की वसूली हो गई हो, को तत्काल निर्माण को समाप्त पूर्ववत् करने हेतु रि-ओपेन नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन प्रकारों में खात की देय धनराशि अभी वसूल नहीं हुई है, भवन निर्माण इस निर्माण को समाप्त किया जाएगा। परन्तु जिन प्रकारों में खात की अधिक रकम वसूली हो गई हो, उनके केष वसूली हेतु बचत धनराशि को वापस की जायेगी।

3. भवन द्वारा यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अग्रिम के ऐसे प्रकारों, जो भवन निर्माण में समाप्त हो चुके हों, में भवन को बचत धनराशि को पूर्ण वसूली सुनिश्चित करके देय खात की धनराशि को वापस की पूर्ण सुनिश्चित कर ले जाने की आवश्यकता खात माफ़ी का अधिकार अग्रिम स्वीकृत करते हेतु भवन अधिकारी को प्रतिक्रिया देना होगा। अब, मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि भवन के सम्बन्ध में खात माफ़ी के निर्देश अग्रिम स्वीकृत करने हेतु मुख्य अधिकारी द्वारा पत्रित किये जायेंगे। पत्रित निर्देशों का पत्र-पत्र प्रति प्रादेशिक/विकास तथा प्रशासन को प्रेषण कराई जायेगी। निर्देश में अन्य सम्बन्धित बातों के सम्बन्ध अग्रिम के पूर्ण निर्माण तथा स्वीकृति निर्देश संख्या, स्वीकृत धनराशि, निर्देशों के अन्तर्गत करने की विधि का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

4. प्रत्येक वर्ष के अन्त में भवन को इस संख्या की सूचना प्रेषण कराई जायेगी कि प्रत्येक वर्ष में भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अग्रिम की खात की रकम में देय खात की धनराशि मुख्य अधिकारी द्वारा पत्रित निर्देशों के अन्तर्गत वापस की गई। यह सूचना प्रत्येक वर्ष अग्रिम पर की 15 नवम्बर तक भवन के विद्युत विभाग को प्रेषण प्रेषण करा दी जायेगी।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि कार्यशालाओं के सेवाकाल में मृत्यु की दशा में खात सहित व्यक्तिगत कर्जद्वारा अग्रिम पर भी देय खात की धनराशि मृत्यु की विधि तक ही की जायेगी परन्तु मृत्यु की विधि तक देय खात की वसूली नियमानुसार की जायेगी।

6. विनोद विभाग संख्या 1/94/20 के संदर्भ निर्देशों में संशोधन की आवश्यकता अलग से भी कियेगी।

सचिव,
एस०ए० टी० रिजर्वी,
प्रमुख सचिव, विना।

